



Sharda Motor Industries Ltd.

SMIL: LISTING: 23-24/3103

31st March, 2024

BSE Limited

Department of Corporate Services

Pheroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street, Mumbai - 400 001

(SCRIP CODE - 535602)

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor

Plot No. C/1, G Block

Bandra - Kurla Complex, Mumbai - 400 051

(Symbol - SHARDAMOTR) (Series - EQ)

Subject: - Submission of Copy of Newspaper Advertisement

Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015

Dear Sir/ Madam,

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement dated Saturday, 30th March, 2024 published in Financial Express (English Language) and Vir Arjun (Hindi Regional Language).

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Sharda Motor Industries Limited**

Iti Goyal

**Assistant Company Secretary
& Compliance Officer**

Encl. as above

Regd. Office : D-188, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110 020 (INDIA)

Tel.: 91-11-47334100, Fax : 91-11-26811676

E-mail : smil@shardamotor.com, Website : www.shardamotor.com

CIN NO-L74899DL1986PLC023202

अदालत ने नाबालिग बेटी को गर्भवती करने वाले व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई

विधि संवाददाता
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में एक विशेष अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने को लेकर दोषी करार दिये गए व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा है कि यह एक निम्न अपराध है और इसपर कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नबीता पूनिया 44 वर्षीय एक व्यक्ति को खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसे अदालत ने जनवरी में दोषी करार दिया था।

अभियोजन ने व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों और बलात्कार के लिए दंडनीय प्रावधानों के तहत आरोपित किया था। अदालत ने कहा, अपराध की पेशाचिक प्रकृति और यह तथ्य कि पीड़िता, दोषी की बेटी थी और

★ अदालत ने कहा- अपराध की पेशाचिक प्रकृति और यह तथ्य कि पीड़िता, दोषी की बेटी थी और उसकी देखभाल और संरक्षण में थी, स्पष्ट रूप से दोषी की उम्र सहित उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण है।

उसकी देखभाल और संरक्षण में थी, स्पष्ट रूप से दोषी की उम्र सहित उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण है। दोषी व्यक्ति ने दलील दी थी कि अपने परिवार का गुजारा करने की जिम्मेदारी उसी पर है और परिवार में उसके बड़े माता-पिता, उसकी पत्नी और चार बच्चे हैं। उसने यह भी कहा था कि शराब के नशे में, वह यह भेद नहीं कर सका था कि वह (पीड़िता) उसकी बेटी थी या पत्नी। न्यायाधीश ने कहा, मैं दोषी की सजा कम करने की दलील से प्रभावित नहीं

हूँ। मैं ऐसे पिता की कल्पना नहीं कर सकती जो अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी के बीच अंतर नहीं कर सकता। वैसे भी, यह पेशाचिक कृत्य एक बार नहीं किया गया बल्कि उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ कई बार बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया। न्यायाधीश ने 22 मार्च के एक फैसले में कहा कि दोषी व्यक्ति अधिकतम दंड पाने का हकदार है। अदालत ने उल्लेख किया कि पीड़िता ने जब शिशु को जन्म दिया था उस वक़्त उसकी (पीड़िता की) आयु 17 वर्ष थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोषी ने अपनी बेटी को एक पर लिखा था और उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। न्यायाधीश ने कहा, उम्र कैद की सजा न्याय प्रदान करेगा और समाज के हित में होगा।

हिरासत में मौत के मामले में उग्र पहले स्थान पर, सभी मामलों की जांच जरूरी : कांग्रेस नेता पाठक

नोएडा, (वीओ)। कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने पुलिस हिरासत में हर मौत की न्यायिक जांच की मांग करते हुए शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन का इस कदर बेलागाम हो जाना बेहद चिंताजनक और खतरनाक है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया शाखा की अध्यक्ष पाठक ने यह भी दावा किया कि हिरासत में हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। जेल में बंद माफिया-नेता मुख्तार अंसारी की बृहस्पतिवार को राज्य के बांदा जिले के एक अस्पताल में मौत के बाद पाठक की यह टिप्पणी आई है। बांदा जेल में बंद अंसारी (63) की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। पाठक ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, उत्तर प्रदेश में आए दिन पुलिस हिरासत में मौत के खबरें आती हैं। हिरासत में मौत के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। प्रदेश का कोई हिस्सा या वर्ग इससे अछूता नहीं

रहा है। मरने वालों में दलित, मुसलमान, ब्राह्मण, व्यापारी, पिछड़ा वर्ग, हर जाति के लोग हैं। उन्होंने पोस्ट में कहा, पुलिस हिरासत में हुई हर मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए। सरकार और पुलिस प्रशासन का इस कदर बेलागाम हो जाना आम जनमानस और कानून के राज के लिए बेहद चिंताजनक और खतरनाक है। इससे पहले, अंसारी के बेटे उमर ने संवाददाताओं से कहा कि परिवार उच्च स्तरीय जांच की मांग करेगा और हमें जो भी करना होगा वह अदालत के माध्यम से करेंगे। समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रियो मायावती ने भी अंसारी की मौत की जांच की मांग की है, वहीं भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी (काशी रा) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है।

द्वारका के वेगस मॉल में खुला फैशन नियोस्टर अजॉर्ट



वीर अर्जुन संवाददाता
नई दिल्ली। द्वारका के वेगस मॉल ने भारत के एकमात्र फैशन नियोस्टर, अजॉर्ट के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। रिलायंस रिटेल का एक एंकर ब्रांड, अजॉर्ट भारत में फैशन-फ्रेंडली ग्राहकों के लिए पसंदीदा स्थान है। वेगस मॉल में अजॉर्ट के जुड़ने से यहां आने वाले लोगों को खरीदारी का एक अनूठा अनुभव

मिलता है, जो समकालीन भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फैशन का सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करता है। अजॉर्ट की विदेशी रेंज कपड़ों से हटकर है और इसमें फैशन सहायक उपकरण, सीटिंग उत्पाद, जूते और बहुत कुछ शामिल है, जो ग्राहकों को प्रभावशाली संग्रह खोज सकते हैं। वेगस मॉल के वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र चौधरी ने कहा, यह साझेदारी आगंतुकों को

एक असाधारण खरीदारी अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता के साथ सहजता से मेल खाती है। एक पेशकश ऑन-ट्रेंड टुकड़ों और पुनर्निर्मित क्लासिक्स की विस्तृत श्रृंखला, अजॉर्ट की विविध श्रृंखला हमारे आगंतुकों की प्राथमिकताओं को पूरा करती है। हमें विश्वास है कि यह जुड़ाव वेगस मॉल में पहले से ही उपलब्ध विविध पेशकशों को बढ़ाएगा।

लौहारहेड़ी गांव में स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया

बहादुरगढ़, (राकेश पंवार)। उपमंडल बहादुरगढ़ के गांव लौहारहेड़ी में शिक्षा विभाग इज्जर के निर्देशानुसार गांव के दोनों सरकारी स्कूलों के अध्यापकों द्वारा संयुक्त रूप से गांव में स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। अध्यापकों द्वारा ग्रामीणों से बच्चों को स्कूल भेजने का संकल्प दिलाते हुए अभियान में घर-घर दस्तक दी और पूछताछ की कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो स्कूल जाने से वंचित रह गया हो। हर उस बच्चे को स्कूल ले जाने सहित स्कूल में उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे यूनिफॉर्म, किताबें, बैग आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। इसमें एक अप्रैल से दाखिला शुरू, कोई फीस नहीं, प्री प्रुल्टके, स्कूल वर्दी व वजीफा, स्वादिष्ट पीछक दोपहर का भोजन, प्रति छात्र 200 मिलीलीटर दूध, खुले हवादार कमरे व परिसर, पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय, सर्वांगीण विकास के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं। अभियान में अध्यापकों द्वारा ग्रामीणों को सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों को बताया गया। डोर टू डोर प्रचार करते हुए जेबीटी अध्यापक सुरेंद्र कुमार ने कहा कि अब प्रत्येक बच्चे को अक्षर ज्ञान की मुख्याधारा से जोड़ अंधकार मुक्त भविष्य का निर्माण करने के लिए अब मजबूती से कदम बढ़ेंगे।

श्रमिकों को मतदान के लिए वेंतन सहित अवकाश दें :

जिला निर्वाचन अधिकारी
फरीदाबाद, (वीओ)। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि श्रमिकों को वेंतन के साथ उद्योग मतदान के लिए अवकाश देना सुनिश्चित करें। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि आकस्मिक श्रमिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी (1) के तहत विस्तारित सवैतनिक अवकाश लाभ के हकदार हैं। श्रमिकों को मतदान के लिए वेंतन के साथ अवकाश न देने वाले उद्योगों के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार कार्रवाही की जाएगी। जिलाधीश विक्रम सिंह ने लोकसभा के आम चुनाव 2024 और विभिन्न राज्यों की विधानसभा सीटों के लिए उप-चुनाव, चरण-वार वैतनिक अवकाश के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा, 2024 के आम चुनाव और विभिन्न राज्यों के विधानसभा के लिए उप-चुनाव की घोषणा की है।

हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फरीदाबाद यूनिट की नशे पर बड़ी कार्रवाई

वीर अर्जुन संवाददाता
फरीदाबाद। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट फरीदाबाद ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए रोशन नगर, पल्ला थाना क्षेत्र से करीब 2 लाख रुपये का 11 किलो 790 ग्राम गांजा बरामद कर नशा तस्कन को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए युनिट फरीदाबाद प्रभारी उप निरीक्षक कीमती लाल ने बताया कि पुलिस टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि सुनीता बाई पत्नी इन्द्र सिंह निवासी रोशन नगर फरीदाबाद व अनिल पुत्र कमल सिंसोदिया निवासी देवास, मध्यप्रदेश वासी फिलहाल रोशन नगर नशीला पदार्थ गांजा बेचने का काम करते हैं। यदि अभी मौके पर रेंड की जाए तो सफलता हासिल हो सकती है। तुरंत गुप्त सूचना के आधार पर मौके पर टीम व महिला सिपाही की सहायता से दोनों को काबू करने की कोशिश की गई। टीम के पहुंचते ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, जोकि अनिल सिंसोदिया पुत्र कमल सिंसोदिया को उसके हाथ में लिए हुए कट्टे सहित काबू कर लिया लेकिन मौके से औरत पुलिस को देखकर भीड़ का फायदा उठाकर काबू करने से पहले ही भाग गई। राजपत्रित अधिकारी विक्रम सिंह वेस्ट की मौजूदगी में मौका पर उपरोक्त पुरुष नशा तस्कन आरोपी को तलाशी ली गई जिसके पास से गांजा बरामद हुआ। कुछ समय बाद घर का दरवाजा खोलने पर भीड़ दोबारा से इकट्ठा हो गयी और भीड़ में शामिल आरोपी की

कविता को घर का बना खाना, अन्य सामान नहीं मिलने पर अदालत ने तिहाड़ के अधिकारियों से जवाब मांगा

विधि संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता कविता को एक अर्जी पर तिहाड़ जेल अधिकारियों से जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अदालत के आदेशों के बावजूद उन्हें घर का बना खाना और गंदे सहित कुछ चीजें जेल में मुहैया नहीं कराई गईं। इससे पहले, मंगलवार को कविता ने अपनी चिकित्सकीय स्थिति के कारण कुछ चीजों की इजाजत देने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दिया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बाबेजा ने आवेदन पर तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वह कविता को घर का बना खाना लेने, गद्दा, चप्पल, कपड़े, चादर, किताबें, कंबल, कलम, कागज, आभूषण और दवाइयों

जेल नियमावली के अनुसार रखने की अनुमति दें। हालांकि, कविता ने बृहस्पतिवार को दायर एक अर्जी में कहा कि इन वस्तुओं के संबंध में अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया। अर्जी में कहा गया, 26 मार्च के आदेश की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए, अदालत के निर्देश के मुताबिक कोई भी वस्तु याचिकाकर्ता (कविता) को प्रदान नहीं की गई या रखने की अनुमति नहीं दी गई। अर्जी में कहा गया, इसके अलावा, याचिकाकर्ता को जेल में चरमा और अपनी जप माला भी ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। अर्जी में कहा गया कि अदालत ने उन्हें इन वस्तुओं तक पहुंच की अनुमति देने के निर्देश इसलिए दिए क्योंकि वह विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से पीड़ित है। न्यायाधीश ने

बृहस्पतिवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई शनिवार को तय की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता साउथ पुपु की प्रमुख सदस्य थीं, जिस पर दिल्ली में शराब लाइसेंस में बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के बदले आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्तत देने का आरोप है। ईडी द्वारा हैदराबाद से गिरफ्तार किए जाने के बाद, कविता को 16 मार्च को सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया था और पिछले शनिवार को इसे तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। बाद में अदालत ने कविता को नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

दीपेंद्र हुड्डा व राजेंद्र जून की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए सैकड़ों लोग

राकेश पंवार/राजेश शर्मा
बहादुरगढ़। कांग्रेस नेता राज पहलवान के प्रयास से शहर की अनाज मंडी में सैकड़ों लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा व विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा का पटक पहनाकर लोगों को कांग्रेस पार्टी में विधिवत शामिल किया। पार्टी में शामिल हुए लोगों का स्वागत करते हुए सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा व विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की री? है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा व विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी में मान-सम्मान दिया जाएगा। सांसद व विधायक ने पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों से कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करें। सांसद दीपेंद्र हुड्डा व विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा ने

अरुण खत्री के प्रयासों से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए विपक्षी नेता

बहादुरगढ़, (राकेश पंवार)। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण खत्री के प्रयासों से कांग्रेस पार्टी में विपक्षी नेताओं का शामिल होना निरंतर जारी है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस नेता अरुण खत्री के प्रयासों से कांग्रेस में शामिल हुए वार्ड 7 से नगर परिषद चुनाव में इनसे लो पाईद का चुनाव लड़ने नवीन मलिक के पिता धर्मवीर मलिक और वार्ड 2 से निर्दलीय चुनाव लड़ी कविता डालला के पुत्र अभिषेक डालला का पार्टी का पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा व विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा ने धर्मवीर मलिक व अभिषेक डालला और उनके समर्थकों का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान किया जाता है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस नेता अरुण खत्री व कांग्रेस पार्टी में उनके प्रयासों से शामिल हुए धर्मवीर मलिक व अभिषेक डालला से कहा कि वे कांग्रेस पार्टी की जनहितैषी विचारधारा का प्रचार प्रसार करके आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागरूक करें।

5 साल बाद मिलता है मतदान करने का मौका : डॉ. मनोज कुमार

सोनीपत (राजेश आहूजा)
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ। मनोज कुमार ने युवा मतदाताओं का आह्वान किया कि मतदान करना उनका अधिकार है। जब हम दूसरे अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं तो मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में क्यों संकोच करते हैं चुनाव में मतदान करने का मौका 5 साल के बाद मिलता है। यह अवसर हमें गंवाना नहीं चाहिए बल्कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। उपायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में जनता सर्वोपरि होती है और एक-एक वोट का बड़ा महत्व

होता है, इसलिए सभी मतदाताओं को लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़चढ़ कर भाग लेना चाहिए, विशेषकर युवा मतदाताओं को। उनका कहना था कि हमारे देश में युवाओं की संख्या भी अधिक है, इसलिए भारत को युवा देश कहते हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि अगर आप अपनी आवाज को बुलंद रखना चाहते हैं तो लोकतंत्र के पर्व में वोट डालकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर मतदाताओं को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो वह मतदान करने से वंचित न रहे बल्कि पॉलिग वूथ पर जाकर वोट को वोट कर सकते हैं।

शारदा मोटर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
सीआईएन.: CIN: L74899DL1986PLC023202
पंजीकृत कार्यालय: बी-188, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020
फोन: 911147334100 फैक्स: 911126811676
investorrelations@shardamotor.com वेबसाइट: www.shardamotor.com
सूचना
भारतीय प्रतिष्ठित और विविधता (ऑटोमोटिव व्यापार का निबंध) विनियम, 2015 एवं अन्य लागू नियम, यदि कोई हो, के अनुसार हमें आपको यह सूचित किया जाता है कि ट्रेडिंग विन्डो सोमवार, 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2024 को समाप्त (बी) वीबी डिमांडी एवं जं के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा के अडालतास पर टेक बंद रहेगी। इसलिए, कंपनी को कोई भी संपदक व्यक्ति इस 'निर्दिष्ट अवधि' के दौरान कंपनी के शेयरों का लेनदेन नहीं कर सकता है।
कवित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.shardamotor.com पर भी उपलब्ध है और इसे टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है।
शारदा मोटर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./-
निमित्त निम्नलिखित
कार्यालय निदेशक एवं कम्पनी सचिव

संक्षिप्त समाचार

ऑडी कार में सवार होकर स्टंट करने वालों पर मामला दर्ज, भारी जुर्माना

नोएडा, (वीओ)। थाना सेक्टर-24 क्षेत्र में एलिवेटेड रोड पर दो ऑडी कार में सवार होकर स्टंट करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन पर भारी जुर्माना लगाया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। थाना सेक्टर-24 के प्रभारी निरीक्षक विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि 27 मार्च को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें दो ऑडी कार में सवार लोग एलिवेटेड रोड पर तेजी से और लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों की इस करतूत से मानव जीवन की सुरक्षा को खतरा हो सकता था और सड़क पर आवाजाही कर रहे अन्य वाहनों के चालकों के लिए भी यह खतरनाक हो सकता था। श्रीवास्तव ने बताया कि कार चालकों के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और इन कार चालकों पर नोएडा यातायात पुलिस ने भारी जुर्माना लगाया है।

नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल चोर चढ़े पुलिस के हथियार, चोरी शूदा मोटरसाइकिल बरामद

सोनीपत (राजेश आहूजा)। चोरी करने की घटना में शामिल आरोपी को चोरीशूदा मोटरसाइकिल समेत थाना कुण्डली की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सहिल उर्फ चिचड़ निवासी खेडी मनाजात जिला सोनीपत का रहने वाला है। थाना कुण्डली पुलिस टीम को सूत्रों से जानकारी मिली की सहिल नरेला से स्लेंडर मोटर साइकिल चोरी करके लाया हुआ है और काफी दिनों से नम्बर प्लेट बदलकर चला रहा है जो थोड़ी देर में अपने गांव से सोनीपत की तरफ जायेगा। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल के सामने नाकाबन्दी शुरू की गई जो कुछ देर बाद एक नौजवान लडका आया जिसको रोककर पूछताछ शुरू की व मोटरसाइकिल के कागजात पेश करने वारे कहा जो कोई कागजात पेश न कर सका जिसपर पुलिस टीम ने नरेला थाना में उपरोक्त मोटरसाइकिल की चोरी वारे पूछताछ की तो थाना नरेला में चोरी की शिकायत दर्ज मिली। थाना कुण्डली पुलिस टीम ने आरोपी सहिल उर्फ चिचड़ को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया गया है।

अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान में अवैध हथियार सहित दो गिरफ्तार

सोनीपत (राजेश आहूजा)। अवैध हथियार सहित दो आरोपियों मंजीत निवासी गांव हसनपुर व मनीष निवासी जटवाडा जिला सोनीपत को जिले के हाइम यूनिट गन्नौर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम यूनिट गन्नौर पुलिस टीम को सोनीपत की तरफ से रौंग साईड से एक धार गाड़ी जिसके शीशे पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी आती हुई दिखाई दी। जिसको शक की बिनाह पर रुकवाकर चेक किया तो गाड़ी में सवार युवकों ने अपनी पहचान मंजीत व मनीष के तौर पर दी। मनीष उपरोक्त के पैरो में एक बैग रखा हुआ था। जिसको खोलकर चेक किया जो बैग में एक बटनदार चाकु मिला और मंजीत उपरोक्त की पैंट की दाहिनी जेब से एक जिन्दा रौन्द 32 जेर मिली। जो गाड़ी चालक मंजीत ने मागने पर गाड़ी के कागजात पेश नहीं किये और न ही कोई सन्तोषजनक जवाब दिया।

मकान में छिपे नाइजीरियन के घर छाप, पुलिस के पहुंचने से पहले हुए फरार

फरीदाबाद, (वीओ)। सेक्टर 46 के एक मकान में छिपे नाइजीरियन के यहां जब पुलिस रेंड करने पहुंची तो हैरान रह गई कि उनके पहुंचने से पहले ही वो लोग फरार हो चुके थे। नाइजीरियन ने यहां एक मकान किराए पर लिया हुआ था। इस मकान के आसपास रहने वाले लोगों को नाइजीरियन की हरकतों पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। बताया जा रहा है कि नाइजीरियन नशीले पदार्थों का सेवन करते थे और उसे तैयार भी करते थे। यहां रहने वाले एक व्यक्ति ने सेक्टर-46 पुलिस चौकी को नाइजीरियन की सूचना दे दी। पुलिस के पहुंचने तक हो चुके थे फरार सूचना मिलने पर पुलिस ने मकान पर छाप मारा लेकिन वहां नाइजीरियन नहीं मिले। पूरी आशंका है कि नाइजीरियन को पुलिस के आने की सूचना मिल गई थी। पुलिस की टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और मकान मालिक से भी पूछताछ की है। नाइजीरियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

देशी कट्टे सहित आरोपी को अपराध शाखा सेक्टर-48 की टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल

फरीदाबाद, (वीओ)। अपराध शाखा सेक्टर-48 प्रभारी हिमांशु की टीम ने गस्त के दौरान अवैध हथियार सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विशाल उर्फ दीपक भरतपुर के कामा जिले का रहने वाला है जो फिलहाल फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में रह रहा था। आरोपी को अपराध शाखा टीम ने अपने गुप्त सूत्रों से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर ऑल्ट प्रेस कॉलोनी से काबू किया है। आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा तथा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ थाना सारन में अवैध हथियार रखने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी देशी कट्टे को राजस्थान के भरतपुर से किसी व्यक्ति से खरीद कर लाया था जिसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। आरोपी ने बताया कि वह अपने दोस्तों में हवाबाजी करने के लिए यह देसी कट्टा खरीदकर लाया था।

Be it known to all concerned that the following members of Jan Vikas CGHS Ltd. (Regn. No.974/GH) Regd. Office: GH-14/722, Paschim Vihar, Delhi-110087 who were expelled from the membership of the society after giving them fair opportunities to explain as to why they should not be expelled under sections 86(1) (b) &(c) of DCS Act, 2003 read with Rule 99 of DCS Rules, 2007. Since, these members have failed to submit their explanation as called for by the society. The proposal was sent to the office of the Registrar, Co-operative Societies, Govt. of NCT of Delhi for approval of the action taken by the Managing Committee of the society and the Registrar vide its office letter no. F.No.47/GH/974/Exp./RCS/2023-24/204 dated 28.03.2024 while according its approval advised the society for the sake of the natural justice to give expelled members a final opportunity through publication in two daily leading newspapers Hindi edition & English edition to submit their explanation if any, in the said action of the society. In case nothing is heard, within a reasonable time (07 days from the date of publication of this notice) the action taken by the society shall be treated as approved by the competent authority.

Details of expelled members:-

Sr. No.	Name of Member	Father's/ Husband's Name	Address	M-ship No.
1	Mrs. Kiran Kamra	Sh. Gulab Singh	91- Amba Enclave, Sector-9, Rohini, Delhi-110085	265
2	Mrs. Champa Devi	Sh. Balbir Singh	92- Amba Enclave, Sector-9, Rohini, Delhi-110085	275
3	Sh. Ramesh Kumar	Sh. Vijay Singh	Flat no.11, Plot No.34, Sector-6, Dwarka, New Delhi-110075	280
4	Mrs. Usha Sharma & Sh. S.K. Sharma	Sh. S.K. Sharma & Sh. G.C. Sharma	A-42C, DDA Flats, Munirka, New Delhi-110067	297
5	Mrs. Ritu Gautam	Sh. Neeharj Gautam	254, Vasant Enclave, Vasant Vihar, New Delhi-110057	328
6	Sh. Madan Mohan	Sh. Vishambhar Datta	RZD-1/2, Main Road, Mahavir Enclave, New Delhi-110045	330
7	Sh. Sanjeev Kumar Yadav & Pankaj Yadav	Sh. Bhoj Raj Yadav	2804, New Jai Bharat CGHS Ltd. Plot No.5, Sector-4, Dwarka, New Delhi-110075	364

For and on behalf of Jan Vikas CGHS Ltd.
President/Secretary

PUBLIC NOTICE

ICICI Home Finance Registered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051. The following borrower/s have defaulted in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by them from ICICI Home Finance Company Limited ("ICICI HFC") and the loans have been classified as Non-Performing Assets (NPA). A notice was issued to them under Section 13 (2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 on their last known addresses, however it was not served and hence they are hereby notified by way of this public notice.

Table with 5 columns: Sr. No., Name of the Borrower/Co-Borrower/ Guarantor/ (Loan Account Number) & Address, Property Address of Secured Asset to be Enforced, Date of Notice Sent/ Outstanding as on Date of Notice, NPA Date. Contains details for two borrowers.

The steps are being taken for substituted service of notice. The above borrower/s and/or their guarantors (as applicable) are advised to make the payments of outstanding within period of 60 days from the date of publication of this notice else further steps will be taken as per the provisions of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD. Registered Address: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY (Under Rule 8(6) read with Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002)

Table with 5 columns: Sr. No., Loan A/c. No. and Branch, Name of Borrower(s) / Co-borrower(s) Legal Heir(s) / Legal Representative(s) / Guarantor(s), Amount as per Demand Notice, Reserve Price, Earnest Money, Type of possession. Contains details for one borrower.

Description of the Immovable Property: All that piece & parcels of Entire Builtup Second Floor (Without Roof Rights) of Residential House bearing No. 92, Admeasuring 155.50 Sq. Mtrs., With freehold proportionate rights in the land beneath, situated at Shakti Vihar, Pitampura, Near Rashmi Apartments, Saraswati Vihar, North - West Delhi, New Delhi - 110001, with all common amenities mentioned in Sale Deed. Bounded - East - House No. 93, West - House No.91, North - Service Lane, South - Road.

Table with 5 columns: Sr. No., Loan A/c. No. and Branch, Name of Borrower(s) / Co-borrower(s) Legal Heir(s) / Legal Representative(s) / Guarantor(s), Amount as per Demand Notice, Reserve Price, Earnest Money, Type of possession. Contains details for one borrower.

Description of the Immovable Property: All that piece and parcel of the All Piece & Parcels of Built up free hold Flat bearing no. B-14/3/S-2, on Second Floor, with roof rights, area measuring 70 Sq. Yards. i.e. 58.53 Sq. Mtrs under M.I.G. Category. One Dwelling Unit As is Where is, With the Common Rights of Stairs, Passage and Other Common Facilities, bearing Property No. B-14/3, Built on Part of Plot no. B-14, Out of Kharsa No. 1076/5/2/272, Situated at Dilshad Extension No. 01, now known as Dilshad Colony in the Area of Village Jhilimi Tahipur, Sala Dehadra, Delhi together with the undivided proportionate freehold rights of the land with all common amenities mentioned in Sale Deed. Bounded - East - Road, West - Part of Plot No. B-14, North - Plot No. B-13, South - Part of Plot No. B-14

Table with 5 columns: Sr. No., Loan A/c. No. and Branch, Name of Borrower(s) / Co-borrower(s) Legal Heir(s) / Legal Representative(s) / Guarantor(s), Amount as per Demand Notice, Reserve Price, Earnest Money, Type of possession. Contains details for one borrower.

Description of the Immovable Property: All that part and parcel of Residential Flat No. 603 Building no. P-02, 6th Floor, in "Crescent Park Petioles" Village Vazirpur and Mewka, SARE Homes, Sector 92 Gurgaon 122001 (HARYANA) Admeasuring Approx. 206.8 Sq. Mtrs. 2226.25 Sq. Ft. and all common amenities under flat buyer agreement.

Table with 5 columns: Sr. No., Loan A/c. No. and Branch, Name of Borrower(s) / Co-borrower(s) Legal Heir(s) / Legal Representative(s) / Guarantor(s), Amount as per Demand Notice, Reserve Price, Earnest Money, Type of possession. Contains details for one borrower.

Description of the Immovable Property: UNIT NO. 2206, TOWER-A1, RUDRA PLACE HEIGHTS, GH-02 B, SECTOR-1, GREATER NOIDA(WEST) 201306 U.P. ADMEASURING AREA IS OF 1841 Sq. Ft.

At the Auction, the public generally is invited to submit their bid/s personally. The Borrower(s)/Co-Borrower (s) are hereby given last chance to pay the total dues with further interest within 15 days from the date of publication of this notice, failing which the Immovable Property will be sold as per schedule. The E auction will be stopped if, amount due as aforesaid, with interest and costs (including the cost of the sale) are tendered to the Authorised Officer or proof is given to his satisfaction that the amount of such secured debt, interest and costs has been paid before the date of the auction.

U GRO U GRO CAPITAL LIMITED 4th Floor, Tower 3, Equinox Business Park, LBS Road, Kuria, Mumbai 400070. POSSESSION NOTICE APPENDIX IV (See rule 8(1)) (For Immovable Property) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of UGRU Capital Limited, having its registered office at 4th Floor, Tower 3, Equinox Business Park, LBS Road, Kuria, Mumbai 400070, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under Section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice to repay the amount mentioned in the notice together with interest thereon, within 60 days from the date of receipt of the said notice.

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED Corporate Office: No. 167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai-600015. SYMBOLIC POSSESSION NOTICE Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice was issued on the dates mentioned against each account and stated hereinafter calling upon the borrower (hereinafter the borrower and guarantors are collectively referred to as the "Borrowers") to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

Table with 5 columns: Sr. No., Name of Borrowers/ Guarantors, Demand Notice Date Date of Possession, Amount Outstanding, Details of Immovable Property. Contains details for multiple borrowers.

Table with 5 columns: S. No., Name of Borrowers/ Co-Borrowers/ Guarantors & Date of NPA, Demand Notice Date Amount Outstanding, Details of Secured Assets. Contains details for multiple borrowers.

SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED CIN: L74899DL1988PLC023202 REGD. OFFICE: D-188, OKHLA INDUSTRIAL AREA, PHASE-A, NEW DELHI-110020. NOTICE Pursuant to Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, and other applicable laws, if any, this is to inform you that Trading Window shall remain closed from "Monday, 01st April, 2024 until forty-eight hours of the declaration of Financial Results for the (4th) Fourth Quarter and Year ended 31st March, 2024. Therefore, none of the connected persons of the company can deal in the company's shares during this "Prohibited Period".

Form No. INC-19 Notice [Pursuant to rule 2(1) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] 1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section 4(ii) of section 8 of the Companies Act, 2013, an application has been made by SHUGAN CHANDRA KOTHARI EDUCATIONAL FOUNDATION to the Hon'ble Regional Director, Northern Region, MCA for surrender of the license issued to it under Section 8(1) of the Companies Act, 2013. After the Cancellation of the license the Company will add the word "Private Limited" to its name in place of Foundation.

PUBLIC NOTICE ADVANCE LIFE INSURANCE BROKERS PRIVATE LIMITED (CIN- U66000D12014PTC271182) Regd. Office : Office No. D-5, First Floor, Awadh Complex, Laxmi Nagar, East Delhi, Delhi - 110092 E-mail : info@advancelifeinsurance.in Website : www.advancelifeinsurance.in BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT (REGIONAL DIRECTOR), NORTHERN REGION) In the matter sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND In the matter of ADVANCE LIFE INSURANCE BROKERS PRIVATE LIMITED having its registered office at Office No. D-5, First Floor, Awadh Complex, Laxmi Nagar, East Delhi, Delhi-110092 ...Applicant Company

HERO HOUSING FINANCE LIMITED Corporate Address: Building No. 2, 2nd Floor, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057. POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES) (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Hero Housing Finance Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice as mentioned below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited) Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2nd North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) (Under Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) Whereas the undersigned being the authorized officer of SMFG India Credit Company Limited (formerly Fullerton India Credit Company Limited), having its registered office at Megh Towers, 3rd Floor, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road Maduravoyal, Chennai, Tamil Nadu-600095 and corporate office at Floor 5 & 6, B Wing, Supreme IT Park, Supreme City, Behind Lake Castle, Powai, Mumbai 400 076, under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 18/12/2023 calling upon the borrower(s) (1) Pankaj Bat (2) ANAGRI DEVI (3) BALKISHAN under loan account number (s) # 173020910596142 & 173020910760161 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 27,26,958.71/- (Rupees Twenty Seven Lakh Twenty Six Thousand Nine Hundred Fifty Eight and Seventy One Paise Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.